

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर/खाला/24/1822

दिनांक :- 27.11.2025

आदेश

(अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी रमनदीप सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 1 बीजीपी प.न. 220/140 मु.न. 50 किला नम्बर 1 ता गै.मु. खाला के स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक ए.2/डी/खा-रा/बा-नह भू.अ./2025/4225 दिनांक 29.10.2025 द्वारा चक 1 बीजीपी प.न. 220/140 मु.न. 50 किला 1/2/0.025 गै.मु.खाला 2/2/0.025 गै.मु.खाला 3/2/0.025 गै.मु. खाला, 4/2/0.025 मु.खाला, 5/2/0.025 गै.मु.खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौके पर उक्त बीघा में खाला चलायमान नहीं होना बतलाते हुए उक्त गै.मु.खाला का निरस्त कर मुमकिन दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 2860 दिनांक 13.11.2025 द्वारा चक 1 बीजीपी प.न. 220/140 के किला नं. 1 ता 5 में खाला मार्ग नहीं चल रहा है न ही उक्त रकबे पर किसी भी न्यायालय में आज दिनांक तक कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया उक्त गै.मु. प्रश्नगत खाला मार्ग का संबंधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

+

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांक :- सम/1823

दिनांक :- 27.11.2025

तिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. श्री.....।

+

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया